उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-26/2020-21

मु0 बदरूद्धिन उर्फ मु0 बसीरूद्धिन

बनाम्

राज्य एवं अन्य

—: आदेश :—

दिनांक

29/09/21

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखवद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपीलवाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता मु0 वदरूद्धिन उर्फ बसीरूद्धिन पे0. स्व0 मु0 सलीम सा0 घाट भंडारीडीह थाना—महागामा जिला—गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0—19/2018—19 आदेश दिनांक—22.01.2020 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने आर0ई0आर0 केश नं0—19/2018—19 आदेश दिनांक—22.1.2020 के द्वारा मौजा माल भंडारीडीह नं0—652 एवं 666 के जमाबंदी सं0—23 दाग नं0—271 रकवा 00—02—06 धुर जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा माल भंडारीडीह जमाबंदी सं0—23 दाग नं0—271 रकवा 00—02—06 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में जमाबंदी रैयत धीरो ओस्ता के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत एवं अपीलकर्त्ता के पिता दोस्त थे एवं अपीलकर्त्ता के पिता को मकान हेतु जमीन का आवश्यकता पड़ा तो अपीलकर्त्ता के पिता के निवेदन पर जमाबंदी रैयत ने कुर्फा एवं पंचनामा के द्वारा अपीलकर्त्ता के पिता को उक्त जमीन दे दिया तथा अपीलकर्त्ता के पक्ष में शपथ पत्र बना दिया था। इसके बाद अपीलकर्त्ता उक्त जमीन पर मकान का निर्माण किया एवं उक्त जमीन पर निर्मित मकान में अपीलकर्त्ता के पूर्वज वर्ष 1939 ई. से ही निवास करते आ रहे है। कालान्तर में अपीलकर्त्ता उक्त मकान का बिना रूकावट का जीर्णोद्वार किये एवं परिवार के साथ निवास कर रहे है। उनका आगे कहना है कि अपीलकर्त्ता का उक्त जमीन पर दखल वर्ष 1938—39 से ही है और उनका दखल प्रतिकूल प्रभाव से होने के कारण अपीलकर्त्ता

का उक्त जमीन पर हक कायम हो गया है एवं अपीलकर्त्ता के उक्त जमीन पर दखल के संबंध में जमाबंदी रैयत के वैद्य वंशज मुटकू ठाकुर एवं अन्य को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त जमीन मुटकू ठाकुर एवं अन्य की हिस्सो की जमीन है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने अपीलकर्त्ता के द्वारा दाखिल किये तथ्यों पर विचार किये बिना ही एक पक्षीय पारित किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा माल भंडारीडीह नं0–651 एवं 666 जमाबंदी सं0–23 दाग नं0–271 रकवा 00–02–06 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में धीरो ओस्ता वल्द गनू ओस्ता के नाम से दर्ज है। उत्तरवादी द्वितीय पक्ष गत जमाबंदी रैयत के छरपतोहू है। अपीलकर्त्ता के द्वारा निम्न न्यायालय में कारण पृच्छा दाखिल करके दावा किया गया है कि अपीलकर्त्ता के पिता को मौजा माल भंडारीडीह के जमाबंदी सं0–23 के दाग नं0–271 रकवा 00–02–06 धूर जमीन कुर्फा से जमाबंदी रैयत से वर्ष 1939 ई0 में प्राप्त हुआ है। लेकिन सत्य यह है कि अपीलकर्त्ता के पिता को भुटकू ठाकुर उर्फ बटेश्वर ठाकुर से दान पत्र के द्वारा दिनांक–05.01.1984 को उक्त जमीन प्राप्त है। इसलिए अपीलकर्त्ता का उक्त जमीन पर प्रतिकुल प्रभाव से दखल होने का सवाल नहीं पैदा होता है। अपीलकर्त्ता के द्वारा हाल में जब उक्त जमीन पर मकान बनाने के उदेद्श्य से तरी खोदना शुरू किया तो अपीलकर्त्ता के विरूद्ध धारा 144 द0प्र0सं0 के तहत प्रक्रिया भी चलाया था। अपीलकर्त्ता उक्त जमीन पर तरी खोद कर दिवाल देते रहे। इसके लिए पुलिस द्वारा अपीलकर्त्ता के विरूद्ध धारा 188 द0प्र0सं0 के तहत प्रक्रिया चलाने के लिए अनुशंसा भी किया गया था। इसके बाद भी अपीलकर्त्ता उक्त जमीन को दखल करने से नहीं रूका एवं असमाजिक तत्वों के सहयोग से उत्तरवादी द्वितीय पक्ष की जमीन जबरन कब्जा कर लिया है। उक्त जमीन कृषि योग्य जमीन है और अपीलकर्त्ता बाहरी व्यक्ति हैं। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश सही एवं नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित

को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों संलग्न कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा माल भंडारीडीह 652, 666 जमाबंदी सं0 23 कुल रकवा 00–14–15 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में धीरो ओरता के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्ता के द्वारा उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–271 रकवा 00–02–06 धुर जमीन कुर्फा से वर्ष 1939 ई0 में प्राप्त करने दावा किया है एवं उनके द्वारा प्रतिकूल प्रभाव से दखल होने के आधार पर भी दावा किया गया है। लेकिन अपीलकर्त्ता के द्वारा प्रतिकूल प्रभाव से दखल से सम्बंधित 1949 के पूर्व का कोई भी मान्य योग्य साक्ष्यजनित कागजात दाखिल नहीं किया है। अपीलकर्त्ता के द्वारा वर्ष 1984 ई0 का ग्रामीण पंचनामा का प्रति दाखिल किया है। इस प्रकार अपीलकर्त्ता का उक्त जमीन पर प्रतिकूल प्रभाव से दखल का दावा सहीं प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0 ई0 आर0 केश न0–19/2019–19 में दिनांक 22.01.2020 के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज़ किया जाता है।

DB No-168
Date-29/09/21

लिखाया एवं शुद्ध किया।

29/09/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

29/09/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

Seen 1/10/21

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.22 14:49:21 +05:30
Location: 192.168.29.8